संख्याः 486 /XVII(4)/2011/29/10 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 22 फरवरी, 2012

विषयः– विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से सबला योजना से आच्छादित किशोरी बालिकाओं के लिये अतिरिक्त पोषाहार क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1342/ XVII(4)/2011/ 129/06 टी0 सी0 दिनांक 28–6–2011 तथा शासनादेश संख्या 2272/XVII(4)/2011/129/06टी0सी0 दिनांक 14–10–2011 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या सी02059–60/सबला–1552(2) /2011–12, दिनांक 14–12–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति से सम्बन्धित सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लू0एफ0पी0) के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के क्रम में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से शासनादेश जारी होने के दिनांक से 45 दिनों तक की अवधि के लिये "सबला योजना" से आच्छादित किशोरी बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु 789.11मी0टन पोषाहार के लिये धनराशि रू0 1,10,47,540/– तथा पोषाहार के निर्माण (789.11 मी0टन) हेतु 651.01 मी0टन अतिरिक्त बी0पी0एल0 गेहूं भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) से प्राप्त करने हेतु एफ0सी0आई0 नई दिल्ली को रू0 27,01,692/– का भुगतान करने अर्थात संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 1,37,49,232/– (रू0 एक करोड़, सैंतीस लाख, उनचास हजार दो सौ बत्तीस मात्र) के व्यय/भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सम्पन्न पोषाहार के एम0ओ0यू0 की अन्य शर्ते यथावत/समान रहेंगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि डब्लू0एफ0पी0 द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 एवं विस्तारित अवधि का सम्पूर्ण पोषाहार आपूर्तित कर दिया गया है तथा उसके पास अवशेष धनराशि न हों। धनराशि आवश्यकता से अधिक होने पर शेष धनराशि विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

5. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15 एवं 30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

7– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 406 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 21–2–2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 456 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या /**XVII(4)/2011**/तद्दिनांक का संलग्नक

क्र स	अनु0 स0	लेखाशीर्षक / मद	डबलू0एफ0पी0 को 789.11 मी0 टन पोषाहार हेतु देय धनराशि	651.01 मी0टन बी0पी0एल0 गेहू हेतु एफ0सी0आई0 को देय धनराशि	कुल प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	5	6	
1	15	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 03– परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित बाल विकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था 0303–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था 31– सामाग्री सम्पूर्ति	77,33,278	18,91,184	96,24,462
2	30	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02–समाज कल्याण 102– बाल कल्याण 02– अनु0 जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0202–समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार (राज्य योजना) 31– सामाग्री सम्पूर्ति	33,14,262	8,10,508	41,24,770
		योग अनुदान संख्या (15,30)	1,10,47,540	27,01,692	1,37,49,232

कुल धनराशि रू0 (रू0 एक करोड़ सैंतीस लाख, उनपचास हजार दो सौ बत्तीस मात्र)

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव